न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–15/2016

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date

आदेश

नेवल यादव उर्फ नोवत यादव उर्फ नेवल,
पे0–स्व0 हीरा यादव– प्रथम पक्ष
सा0–खैरन, अंचल+थाना–झाझा, जिला–जमुई।

बनाम

द्वारिका यादव, पे0–स्व0 मुशो यादव– द्वितीय पक्ष
सा0–खैरन, अंचल+थाना–झाझा, जिला–जमुई।

अभिलेख उपस्थापित। विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद नेवल यादव उर्फ नोवत यादव उर्फ नेवल, पे0–स्व0 हीरा यादव, सा0–खैरन, अंचल+थाना–झाझा, जिला–जमुई के आवेदन दिनांक–05.03.2016 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई विपक्षी द्वारा दिनांक–24.04.2018 को अपना जबाव दाखिल किया गया, परन्तु सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। साथ ही उनके द्वारा दिनांक–24.04.2018 के बाद अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं की गई। अतः वाध्य होकर आवेदक द्वारा एकपक्षीय सुनवाई की गई तथा दिनांक–11.09.2019 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना लिखित बहस पेश की गई।

वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–

(1) आवेदक का कहना है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0–60/2012–13 में पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण का वाद दायर किया गया।

(2) खाता सं0–6, खेसरा सं0–142, रकवा–0.92डी0 खेमन गोप वो दर्शन गोप के नाम से जमाबंदी कायम है।

(3) दोनों भाई आपस में बराबर–बराबर 0.92 डी0 भूमि का बंटवारा किया गया, जिसके उपरांत प्रत्येक भाई को 46डी0 भूमि हिस्से में प्राप्त हुआ।

(4) सर्वे खतियान में रैयत जामील गोप के पुत्र प्रयाग यादव नाऔलाद रहने के कारण आवेदक नेवल यादव के साथ रहते थे तथा इनके साथ खाना–पीना भी करते थे। मरणोपरांत दाह संस्कार भी नेवल यादव के द्वारा किया गया।

(5) विवादित जमीन पर गोहाल वो मकान बना हुआ है, जिसमें आवेदक नेवल यादव आज भी सपरिवार निवास करते है।

(6) विपक्षी द्वारिका यादव के द्वारा अंचल अधिकारी, झाझा के पास दाखिल–खारिज आवेदन दिया था, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0–1152/85–86 है, जिसे जाँचोपरांत दिनांक–15.05.1987 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध विपक्षी ने आज तक अपील दायर नहीं किया है।

(7) अंचल अधिकारी, झाझा द्वारा विपक्षी के मेल में आकर दाखिल–खारिज वाद सं0–2038/87–88 द्वारा अवैध तरीके से जमाबंदी सं0–266 कायम किया गया है, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

(8) अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय मोकदमा नं0–224एम0/1985 में विवादित जमीन पर घारा 144 द0प्र0सं0 के

अपीलार्थी नेवल यादव के पक्ष में दिनांक–10.06.1985 को आदेश पारित किया गया था।

(9) आवेदक का कहना है कि विपक्षी द्वारिका यादव पूर्ण रूपेण जानकारी था कि विवादित जमीन करीब 50 वर्ष से अपीलार्थी नेवल के दखल–कब्जा में है तथा उक्त जमीन पर कच्चा मकान बनाकर सपरिवार आज तक रह रहा है।

<u>विपक्षी का कथन :–</u>

(1) मौजा–खैरन के खाता सं0–06, खेसरा सं0–142, रकवा–92डी0 सर्वे खतियान में खेमन गोप व दर्शन गोप के नाम से दर्ज है जिसे कालान्तर में खेमन गोप व दर्शन गोप ने आधा–आधा बांट लिया और प्रत्येक को 46–46 डी0 जमीन मिला।

(2) आवेदक द्वारा प्रस्तुत वंशावली में खेमन गोप को तीन पुत्र फागु गोप, जालीम गोप व हीरा गोप है। फलतः खेमन गोप के तीन पुत्रों को तीन पुत्रों को 46डी0 भूमि में 15 $\frac{1}{3}$डी0 जमीन हुआ।

(3) आवेदक हीरा गोप के पुत्र है, जिनके हिस्से का इस वाद में कोई विवाद नहीं है। जालीम गोप के वंशावली में दो पुत्र दर्शाया गया, जो मिश्री यादव एवं प्रयाग यादव है।

(4) आवेदक एवं आवेदक के भाई गोवर्द्धन यादव ने मिश्री यादव से 27.07.79 में 08डी0 जमीन केवाला लिया जिसका दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0–431 कायम है। प्रयाग यादव के संबंध में आवेदक का कथन है कि प्रयाग यादव नाऔलाद रहने के कारण आवेदक के साथ रहते थे जिसका दाह–संस्कार भी आवेदक ने ही किया है। लेकिन विपक्षी द्वारिका यादव द्वारा दिनांक–13.02.82 को एक झुठा एवं जाली केवाला के आधार पर आवेदक द्वारा क्रय की गई जमीन पर व्यवधान उत्पन्न किया जाने लगा।

(5) अंचल अमलाओं को मेल में लाकर अवैधानिक तरीके से दाखिल–खारिज वाद सं0–2038/87–88 के द्वारा जमाबंदी सं0–266 अपने नाम कायम करा लिया गया जबकि पूर्व में उनका दाखिल–खारिज वाद सं0–1152/85–86 दिनांक–15.05.87 को खारिज हो चुका था।

(6) विपक्षी का कहना है कि आवेदक सूचना के अधिकार के तहत दाखिल–खारिज वाद सं0–2038/87–88 का नकल मांगा, तो अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख अनुपलब्ध बताया गया। फलतः आवेदक के द्वारा विपक्षी के जमाबंदी सं0–266 को अवैध एवं गैर कानूनी कहकर जमाबंदी रद्द करने का प्रार्थना किया गया।

(7) विपक्षी का कहना है कि आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में दफा 144 द0प्र0सं0 का आदेश अपने पत्र में होने का कथन किया गया है और उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई पर दस्तावेजीय सबूत का गहन जाँच न करने तथा नजर अंदाज करने का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं अव्यवहारिक बताया गया।

(8) विपक्षी द्वारा आवेदक के आवेदन का विरोध करते हुए यह अभिकथन किया गया कि वाद जमाबंदी सुधार अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो चलने लायक नहीं है।

(9) अंचल अधिकारी झाझा द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–2038/87–88 में पारित आदेश को लगभग 30 वर्ष के अन्तराल के बाद प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

(10) उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने भी दस्तावेजीय सबूत केवाला व रसीद को देखकर ही आवेदक का जमबांदी सुधार वाद खारिज

किया है जो बिल्कूल ही सही है। हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक ने भी उक्त जमाबंदी सुधार वाद में प्रतिवेदित किया था कि दोनो के बीच सीमा विवाद का मामला है, जो सक्षम न्यायालय द्वारा ही निवटाया जा सकता है। दफा 144 द0प्र0सं0 के दौरान भी स्थानीय पुलिस ने भी विपक्षी के दखल–कब्जा की पुष्टि किया है।

(11) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी के नाम जमाबंदी सं0–266 प्रयाग यादव द्वारा निष्पादित संबंधित केवाला दिनांक–13.02.52 के आधार पर दाखिल–खारिज वाद सं0–2035/87–88 कायम किया गया है, जिसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष :– आवेदक कें आवेदन और उसके साथ संलग्न साक्ष्य, विपक्षी का जबाव और उसके साथ संलग्न साक्ष्य तथा आवेदक की सुनवाई एवं लिखित बहस से प्रश्नगत मामले में निम्नांकित तथ्य उभरकर सामने आते है :–

1. प्रश्नगत भूमि मौजा–खैरन, खाता सं0–06, खेसरा सं0–142, रकवा–0.92 एकड़ के खतियानी रैयत खेमन गोप वो दर्शन गोप थे।

2. आवेदक खेमन गोप के वंशज है।

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत वंशावली के आलोक मे खेमन गोप के तीन पुत्र फागु गोप, जालीम गोप वो हीरा गोप थे। जालीम गोप के दो पुत्र मिश्री वो प्रयाग थे जबकि आवेदक नेवल गोप खेमन गोप के पुत्र हीरा गोप के पाँच पुत्रों में से एक है।

4. आवेदक का कथन है कि जालीम गोप के पुत्र प्रयाग नावल्द थे तथा वे आवेदक के साथ ही रहते थे तथा मरणोपरांत दाह–संस्कार भी उन्हीं के द्वारा किया गया। विवादित जमीन पर ही पूर्व से गोहाल वो मकान बना हुआ था, जिसमे वे सपरिवार अब तक रहते चले आ रहे है।

5. आवेदक का यह भी कहना है कि उनके द्वारा जालीम गोप के दूसरे पुत्र मिश्री यादव से उनकी हिस्से की भूमि निबंधित वसीका के माध्यम से दिनांक–27.07.1979 को प्रश्नगत खेसरा 142 में रकवा 08डी0 क्रय किया गया, जिसका दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0–431 दर्ज है जिसपर विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है।

6. विपक्षी द्वारिका यादव द्वारा दिनांक–13.02.1982 को जाली केवाला के द्वारा क्रय किया गया एवं क्रय किये गये केवाला के आधार पर आवेदक के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में व्यवधान डाला जा रहा है।.

7. विपक्षी द्वारिका यादव द्वारा प्रश्नगत भूमि की दाखिल–खारिज हेतु अंचल अधिकारी, झाझा के समक्ष दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दिया गया, जिसका वाद सं0–1152/85–86 में अंचल अधिकारी, झाझा द्वारा जाँचोपरांत दिनांक–15.05.1987 को खारिज कर दिया गया तथा अंचल अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अब तक कोई अपील दायर नहीं किया गया है।

8. विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी, झाझा के दाखिल–खारिज आवेदन खारिज कर दिये जाने वाबजूद पुनः दूसरा दाखिल–खारिज आवेदन दिया गया, जिसका वाद सं0–2038/87–88 है।

9. उक्त वाद में अंचल अमला को मेल में लाकर अवैधानिक तरीके से जमाबंदी संख्या–266 कायम करवा लिया। उनके द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–2038/87–88 का नकल सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर अंचल अधिकारी, झाझा द्वारा अभिलेख अनुपलब्ध दर्शाकर नकल उपलब्ध नहीं कराया गया।

10. विपक्षी द्वारिका यादव दफादार के पद पर कार्यरत है तथा

अपने पद के प्रभाव से आवेदक के जमीन पर बने मकान वो गोहाल को वाजवरदस्ती हड़पना चाहते है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय मोकदमा नं0–224एम0/1985 विवादित जमीन पर धारा 144 द0प्र0सं0 के अपीलार्थी नेवल यादव के पक्ष में दिनांक–10.06.1985 को आदेश पारित किया था।

11. उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में आवेदक के द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0–60/12–13 दायर किया गया था, जिसमें उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा पारित आदेश दिनांक–01.02.2016 में प्रश्नगत जमीन को लेकर उभयपक्ष के बीच जमाबंदी कायम एवं रद्द करने का मामला होने तथा उनके न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने का संदर्भ करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

12. विपक्षी का कथन है कि आवेदक हीरा गोप के पुत्र है, जिनके हिस्से का इस वाद में कोई संबंध नहीं है।

13. आवेदक द्वारा प्रयाग यादव से प्रश्नगत भूमि के अन्तरण का कोई उल्लेख नही किया गया है जबकि प्रयाग यादव द्वारा विपक्षी द्वारिका यादव को प्रश्नगत खेसरा 142 में रकवा–7 1/2डी0 जमीन निबंधित वसीका दिनांक–13.02.1982 के माध्यम से बिक्री कर दिया गया है, जिसका दाखिल–खारिज होकर विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं0–266 कायम है। इस प्रकार मिश्री यादव एवं प्रयाग यादव द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि आवेदक एवं विपक्षी को केवाला के द्वारा बिक्री की गई तथा दोनो के नाम से अलग–अलग जमाबंदी कायम है।

14. आवेदक के द्वारा प्रयाग यादव के नावल्द रहने एवं दाह संस्कार करने के आधार पर प्रयाग यादव के जीवन काल में विपक्षी को बिक्री की गई भूमि पर नाजायज रूप से दावा किया जा रहा है। इसलिए वर्त्तमान रद्दीकरण वाद खारिज करने योग्य है।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला खतियानी रैयत के एक वंशज विपक्षी द्वारिका यादव के पक्ष में निबंधित वसीका की वैधता से संबंधित है, जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा यह सक्षम व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन आता है। जहाँ तक आवेदक के द्वारा प्रयाग यादव के हिस्से की भूमि उनके नावल्द रहने तथा दाह–संस्कार उनके द्वारा किये जाने के आलोक में उन्हें प्राप्त होने का दावा है, इस संबंध में कोई दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा इस संबंध में कोई भी निर्णय लिया जाना भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा यह भी सक्षम व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन आता है। जहाँ तक विपक्षी की जमाबंदी संख्या–266, जो प्रयाग यादव से प्रश्नगत भूमि के निबंधित केवाला से प्राप्ति के आधार पर कायम है, की वैधता का बिन्दु है इस संबंध में आवेदक के द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–1152/85–86 बनाम द्वारिका यादव के सम्पूर्ण आदेश फलक की नकल की छाया–प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक–30.11.85 को पारित आदेश में उक्त दाखिल–खारिज वाद में आवेदक द्वारा धारा 144 के तहत प्रश्नगत भूमि में दायर वाद सं0–224/1985 की छाया–प्रति दायर किये जाने तथा आपतिकर्त्ता नौवत यादव के पक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश का संदर्भ करते हुए प्रश्नगत भूमि को विवादित मानते हुए द्वारिका यादव द्वारा दिये गये दाखिल–खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। विपक्षी के द्वारा उक्त दाखिल–खारिज आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के यहाँ अपील दायर करने एवं उसमें उनके पक्ष में अपीलीय प्राधिकार का कोई आदेश प्राप्त

हिस्से की भूमि निबंधित वसीका के माध्यम से क्रय किया गया है जिसके आधार पर दाखिल–खारिज होकर उनकी जमाबंदी संख्या–266 कायम की गई है। यहाँ यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या किसी दाखिल–खारिज आवेदन को जिसे अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है बिना अपीलीय प्राधिकार के आदेश के पुनः दाखिल–खारिज आवेदन स्वीकृत किया जाना एवं उसके आधार पर कायम जमाबंदी को वैध माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दाखिल–खारिज एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को अपीलीय प्राधिकार उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान है। अंचल अधिकारी को स्वमेव अपने आदेश का पुनरीक्षण करने का अधिकार कभी भी नहीं रहा है। स्पष्ट है कि दाखिल–खारिज आवेदन अस्वीकृत करने के बाद बिना अपीलीय प्राधिकार के आदेश के पुनः दूसरे दाखिल–खारिज आवेदन में अंचल अधिकारी द्वारा उसी वसीका की भूमि, जिसका दाखिल–खारिज हेतु पूर्व में ही दिये गए आवेदन को अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, को पुनः अंचल अधिकारी द्वारा दूसरे दाखिल–खारिज वाद के माध्यम से स्वीकृत कर जमाबंदी कायम किया जाना सरकार द्वारा दाखिल–खारिज प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन है। बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9(1) में प्रावधान किया गया है कि किसी जमाबंदी, जो वर्त्तमान में किसी विधि के उल्लंधन में अथवा इस निमित किसी कार्यपालक निदेश के अतिलंघन में सृजित की गई हो, की जाँच–प्रड़ताल करने एवं संबंधित पक्षकार को उपस्थित होने, साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये जाने के उपरांत वैसी जमाबंदी रद्द करने की शक्ति प्रदत है। चूँकि विपक्षी की जमाबंदी दाखिल–खारिज प्रक्रिया का उल्लंधन कर कायम की गई है। इसलिए प्रश्नगत भूमि से संबंधित विपक्षी द्वारिका यादव की जमाबंदी सं0–266 से प्रश्नगत भूमि खाता सं0–06, खेसरा सं0–142, रकवा–7 1/2डी0 भूमि विलोपित की जाती है तथा अंचल अधिकारी, झाझा को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार उक्त जमाबंदी में यथोचित सुधार करें एवं उभयपक्षों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नगत भूमि से संबंधित स्वत्व एवं दखल के विवाद के निवारण के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण लें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

5/3/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

5/3/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 579 /रा0, दिनांक 06.03.2020

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, झाझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/3/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

[illegible]